फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

श्री अनवर खां पिता अलादिया खां निवासी जावरा हाल रामद्वारा के पास, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 119/2023 (रा.गु.नि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2024	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल का जमानती वारण्ट पुनः अदम तामील प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 17840–42 दिनांक 28.08.2018 से गैरसायल श्री अनवर खां पिता अलादिया खां निवासी जावरा मध्यप्रदेश हाल रामद्वारा के पास, प्रतापनगर चौराहा, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत पेश किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर गैरसायल को दिनांक 18.12.2018 एवं 13.08.2019 को सूचना पत्र जारी कर वास्ते तामीलन थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किये गये जो उनके द्वारा नोटिस दिनांक 18.12.2018 बाद/अदम तामील वापस प्रस्तुत ही नहीं किया तथा नोटिस दिनांक 13.08.2019 बाद तामील पेश किया। गैरसायल के सूचना पत्र तामील होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से पुनः पत्रांक 67 दिनांक 23.01.2020, 217 दिनांक 05.03.2020, 965 दिनांक 07.09.2021, 07.12.2021, 05.04.2022, 18.05.2022 एवं 30.11.2022 से गैरसायल की उपस्थिति बाबत जमानती वारण्ट जारी कर तामीलन थानाधिकारी, सदर चित्तौड़गढ़ को भिजवाने पर उनके द्वारा 04 बार तो जमानती वारण्ट बाद/अदम तामील पुनः न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया जबकि 03 बार जमानती वारण्ट मय मौतबिरान की टिप्पणी के प्रस्तुत किया कि उक्त गैरसायल दिये पते पर निवास ही नहीं करता है। उसके पश्चात् प्रकरण न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ से स्थानान्तरण होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः गैरसायल की उपस्थिति बाबत जमानती वारण्ट जारी किया जाकर जरिये पत्रांक 153 दिनांक 24.05.2024 से थानाधिकारी, थाना कोतवाली को (चूंकि इस्तगासा थानाधिकारी कोतवाली द्वारा प्रस्तुत करने से) गैरसायल से वारण्ट तामील करा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु उनके द्वारा जमानती वारण्ट बाद/अदम तामील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः पत्रांक 181 दिनांक 30.05.2024	.....लगातार

से थानाधिकारी, कोतवाली चित्तौड़गढ़ को लिखे जाने पर उनके द्वारा मय मौतबिरान की टिप्पणी के जमानती वारण्ट अदम तामील पेश किया कि गैरसायल अभी कहां रहता है, कहां गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है।

इस प्रकार इतने जमानती वारण्ट जारी करने पर भी गैरसायल की उपस्थिति थानाधिकारी सदर एवं कोतवाली द्वारा सुनिश्चित नहीं कर पाने से पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक 278 दिनांक 19.07.2024 से लिखते हुए पुनः जमानती वारण्ट जारी कर गैरसायल से तामील करा प्रस्तुत कराने हेतु लिखे जाने पर भी गैरसायल की तामील नहीं हो पाई तथा पुनः जमानती वारण्ट मय मौतबिरान की तस्दीक के अदम तामील प्राप्त हुआ कि गैरसायल अनवर खां पिता अलादिया खां दिये गये पते पर काफी तलाश की तो कोई अता–पता नहीं चला की टिप्पणी के अदम तामील प्राप्त हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में गैरसायल के धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरणों में सजायाब होने का उल्लेख है तथा अंतिम प्रकरण दिनांक 08.05.2018 को निर्णित होना अंकित है। इस तारीख के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण अंकित नहीं है। मुख्य रूप से जब गैरसायल थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में यहां निवास नहीं कर रहा है। उसका कोई अता–पता नहीं चल पा रहा है जिसका सही पता मालूम ही नहीं है तथा उसे आते–जाते भी नहीं देखा गया है और वह सकूनत से बाहर चल रहा है और ना ही उसका वारण्ट पुलिस विभाग द्वारा लगभग पिछले 05 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी तामील कराया जा सका है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचार किए बिना इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 खारिज किया जाता है। यदि गैरसायल सकूनत पर वापस आवे और आपराधिक गतिविधियों में नियमित रूप से लिप्त पाया जावे तो नियमानुसार नये सिरे से इस्तगासा पेश किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे।